

**फर्द अहकाम**

(नियम 28)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... सिकराय .....  
 सरकार बनाम ..... ~~डू-या~~ / रामसिंहान .....  
 करम मुकदमा ..... 5191 ..... मु० नं० ..... 28/19

ब्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
. 9. 24	<p>पत्रावली पेशा वकील प्राणी उपखण्ड लहल                      देरु डि 5.10.21 को पेश की।                      व 10/21 पत्रावली पेशा, वकील प्राणी उपखण्ड,                      वास्ते लहल डिनांक 18.10.21 को पेश की।</p> <p>पत्रावली पेशा हुआ, वकील प्राणी उपखण्ड                      सरकार के नाम पर पेश किया गया।                      दावा पर एन. ए. प्रमाणित किया गया।                      लाभ की गई। पत्रावली दिनांक 24.1.22                      को पेश हो।</p>	
24/22	<p>पत्रावली पेशा, वादी अधीकृता उपस्थित। वहल                      दावा सुनी गयी। वादी ग्राम सीमरी के खाता सं.                      99 की खलेदारी भूमि की पल्लरगढी करगाना                      चाहता है। पुरनगत भूमि का सीमाबान डि. 3.6.19                      को किया जा चुका है। जवाब स्टेट अनुसार फसल                      स्टार्ड परभाव पल्लरगढी करवायी जानी उचित                      होगा।                      अतः ग्राम सीमरी के खाता सं. 99 की पल्लरगढी                      रबी फसल स्टार्ड उपरान्त कराये जाने के आदेश।                      वह सीमरी सीमरीय को दिये जाते हैं।                      पल्लरगढी कार्यवाही में किसी तरह का भौतिक                      नुकसा एतान्तस्ति नहीं किया जावे।</p> <p style="text-align: right;"> <i>(रामसिंहान)</i>                      24.1.22                      उपखण्ड अधिकारी                      सिकराय (दौसा)                 </p>	